नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 223/2010 अनवान भंवरलाल बनाम बुधा	तारीख हुकम
	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 42 व 188 के तहत प्रस्तुत किया है, जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण की पैतृक भूमि ग्राम महाबार के पुराना खसरा संख्या 51 रकबा 105.04 बीघा का आया हुआ है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के दादा एवं पड़दादा भोला पुत्र काना उर्फ रामा द्वारा वादग्रस्त खेत को जरिये पंजीबद्ध बेचान अप्रार्थीगण को कर दिया जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 42 के विपरित किया गया था। वादग्रस्त भूमि हिन्दु उतराधिकारी अधिनियत के तहत प्रार्थीगण के दादा एवं पड़दादा के को खातेदारी में प्राप्त हुई थी। उक्त बेचान विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। लिहाजा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी करे कि वादग्रस्त भूमि ग्राम महाबार के पुराना खसरा संख्या 51 रकबा 105.04 बीघा में मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 10 उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 10 ने आवेदन में अंकित तथ्यों के प्रति असहमति प्रकट करते हुए निवेदन किया कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा 1963 से पूर्व गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किया गया। अंतरण शून्य है बल्कि इसे शून्यकरणीय माना गया है लेकिन 16.06.1961 को किये गये विक्रय को इस वाद से पूर्व चुनौती नही दिये जाने से इस वाद में उक्त विक्रय प्रश्नगत नही किया जा सकता। अप्रार्थीगण वादग्रस्त अराजी के खातेदार है तथा उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान के दिनांक 16.06.1961 को खातेदार द्वारा क्रय की गई थी तथा 50 वर्ष पूर्व किये गये विक्रय को अवैध एवं निस्प्रभावी नही कहा जा सकता। उक्त आवेदन परिसीमा से बाहर होने से खारिज योग्य है। प्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ खारिज की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न	01/11/22

सहायक कलक्टर (SDO) नाथद्वारा

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 223/2010 अनवान भंवरलाल बनाम बुधा

दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनपरान्त न्यायालय को प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है क्योकि वादग्रस्त भूमि आवेदन दर्ज करने से पूर्व लगभग 50 वर्ष पूर्व खातेदार द्वारा बेचान कर दी गई थी। विक्रय पत्र वर्तमान में प्रभाव में है और प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया खातेदार नही होने से आवेदन चलने योग्य नही है तथा उभय पक्षों ने दोनों उक्त बेचान को स्वीकार किया है। उक्त बेचान को स्वीकार करना तथा प्रार्थीगण रेकर्डडेड खातेदार नही होने से तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। लिहाजा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः यह आवेदन इसी स्टेज पर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखित दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर